



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930

No. 91]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना सं. का.आ. 196(अ) तारीख 6 मार्च, 2000 और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 465(अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002, द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 94.000 कि.मी. से 134.000 कि.मी. और 141.000 कि.मी. से 156.000 कि.मी. (कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा से सेलम खंड) और 134.000 कि.मी. से 141.000 कि.मी. (कृष्णागिरी से सेलम से मादुरई खंड) और 156.000 कि.मी. से 163.000 कि.मी. (बैंगलोर-सेलम-मादुरई खंड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर 94.00 कि.मी. से 156.00 कि.मी. तक के विद्यमान दो लेन वाले भाग को चौड़ा करने के लिए और 156.00 कि.मी. से 163.400 कि.मी. तक के खंड को चार लेन बनाने और विकास के लिए एल एण्ड टी कृष्णागिरी थोपुर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय माउंट पूनामाली रोड, चेन्नई-600089 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेवशन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिघात पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 94.00 कि.मी. से 163.40 कि.मी. तक खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की तारीख से ही उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(ii) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापनों/औद्योगिक इकाई है।

(iii) ऐसे स्थापनों/संस्था/औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारी, जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय स्थित है; और

(iv) स्वनियोजित व्यक्ति/ कारोबारी जिनका काम करने का स्थान फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है

(ख) "स्थानीय यातायात प्रकार II" में निम्न लिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय प्रयोक्ता अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है।

(i) ग्रामों/कस्बों/शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है।

(ii) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित/स्थापन ऐसे स्थापनों/औद्योगिक इकाईया है।

(iii) ऐसे स्थापनों/औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।

(iv) स्वनियोजित व्यक्ति/ कारोबारी जिनका काम करने का स्थान फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है

(iv) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(v) शब्द और पदों को जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त धारा के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, उक्त करार में क्रमशः उनके हैं।

2. फीस की वास्तविक दर की संगणना चालू वर्ष के लिए की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से निम्नलिखित आधार पर पुनरीक्षित की जाएगी :-

आधार फीस X $\frac{\text{डब्ल्यू पी आई-बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई-ए}}$ X उक्त सेक्शन की लम्बाई (कि.मी. में)

जहां

*डब्ल्यू पी आई-ए = जून 1997 को यथा विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है

*डब्ल्यू पी आई-बी = फीस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए थोक कीमत सूचकांक है

- (ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

7. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट प्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

(क) कार/जीप/वैन के लिए

- (i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रुपये का मासिक पास
- (ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रुपये का मासिक पास

(ख) बसों के लिए

- (i) राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन पर जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सड़क परिवहन की पंक्ति से निम्न नहीं होगा द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर विनिर्दिष्ट दर पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में मासिक पास जारी किये जायें और निजी स्थानीय प्रचालकों के मामले में मासिक पास जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए अपने परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर जारी किए जाएंगे ।
- (ii) स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर 1,000/- रु० (एक हजार रुपये) की दर से मासिक पास जारी किये जायें ।

(ग) हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक):

स्थानीय परिवहन प्रचालकों को 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत (अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुये प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान) प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी और ऐसे वाहनों के लिये, प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये 25 रु० (पच्चीस रुपये) और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15 रु० (पन्द्रह रुपये) की फीस होगी :

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2009

S.O. 145(E).—Whereas, by the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport and Highways (Road Wing) number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000 and in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, the Central Government had entrusted the stretches from Km 94.000 to Km 134.000 and Km 141.000 to Km 156.000 (Karnataka/ Tamil Nadu Border to Salem section) and Km 134.000 to Km 141.000 (Krishnagiri – Salem – Madurai section) and Km 156.000 to Km 163.400 (Bangalore – Salem – Madurai section) of National Highway No. 7 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with L&T Krishnagiri Thopur Toll Road Private Limited, a company having its registered office at Mount Poonamallee Road, Chennai-600089 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the widening of existing two laned portion of the section from Km 94.000 to Km 156.000 to four lanes, and improvement, operation and maintenance of the section from km 156.000 to km 163.400 of National Highways No. 7 on Build, Operate and Transfer basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said sections of the said National Highways, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the said agreement, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section from

National Highways in accordance with the provisions of the agreement.

(iii) "local traffic", in relation to fee payable, means the following categories of traffic

(a) "Local Traffic Category I" means and includes users falling into any of the following categories -

- (i) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza).
- (ii) establishments /industrial units located within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza).
- (iii) employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza); and
- (iv) self employed persons./businessmen having a place of work within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza).

(b) "Local Traffic Category II" means and includes local users falling into any of the following categories-

- (i) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booths (toll plaza).
- (ii) establishments/Industrial units located within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booths (toll plaza).
- (iii) employees of Establishments/ Industrial units located or which have their office, within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booths (toll plaza: and
- (iv) self employed persons/business having a place of work within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

- (A) having VIP symbols or officially belonging to:
- (a) the President of India;
 - (b) the Vice-President of India;
 - (c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;
 - (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
 - (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
 - (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
 - (g) a Member of Parliament, in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in his State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) police vehicles, fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

7. Concessionaire shall not collect fee from Local Traffic in the excess of the following discounted rate-

(a) for car/jeep/van:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| i) Local Traffic Category I: | Monthly pass of Rs 150.00 |
| ii) Local Traffic Category II: | Monthly pass of Rs 300.00 |

(b) for buses:

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.
12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/409/08-09/CO/GC Salem (Krishnagiri-Thopurghat) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.